मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ 1–6/2013/18–3 भोपाल, दिनांक 02/5/ 2013

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– **मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना .**

सन्दर्भ :– **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29 अप्रैल, 2013.**

–/–

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में अप्रैल, 2013 में संशोधन किया गया है । इसके अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता के लिए "कट ऑफ डेट" 31 दिसम्बर, 2012 नियत की गई है । इसके अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति, जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम पर स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना है । इसके अंतर्गत 01 मई, 2013 से 20 जून, 2013 तक सर्वेक्षण का काम पूर्ण किया जाकर 31 जुलाई, 2013 तक पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जाना है । इस संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जो विभाग की वेबसाईट www.mpurban.gov.in पर उपलब्ध है ।

2– कृपया उपरोक्त कार्य के त्वरित क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर्स के साथ तत्काल बैठक आयोजित कर निर्धारित समयावधि में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(आर. परशुराम)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन